"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006—भाद्र 9, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11174/288/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-8-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विमला सिंह कपूर**, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 24 सन् 2006)

# छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006

**छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) में पुनः संशोधन हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**परिभाषा.** 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004).

**धारा-11 का संशोधन.** 3. मूल अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (8) में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11174/288/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 24 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विमला सिंह कपूर**, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2006)

# THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2006

**An Act further to amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Act, 2006.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Definition.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires;—

   . "Principal Act" means The Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

**Amendment of Section 11.**

3. In sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, for the word "two" the word "Five" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.